41

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 134–एक/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 2–11–2011 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण क्रमांक 486अ–6/2009–10 अपील

छिद्दीलाल पुत्र झिन्ना गौड
ग्राम कारापाठा वर्तमान तहसील हर्रई
जिला छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– बालसी 2– दानी 3– दानसा
तीनों पुत्रगण धन्नू गौड़
4– महिला हुलियावाई पत्नि स्व.धन्नू
सभी ग्राम हडाई तहसील हर्रई
जिला छिन्दवाड़ा मध्य प्रदेश ---अनावदेकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0श्रीवास्तव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री कुँअरसिंह कुशवाह)

आ दे श

(दिनांक 3 – 3 – 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 486 अ–6/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 2–11–11 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है आवेदकगण ने तहसील न्यायालय में आवेदन देकर बताया कि महिला फुल्को पत्नि स्व.झन्नू गौड के नाम ग्राम हर्रई में कुल किता 5 कुल रकबा

8.482 हैक्टर भूमि है उनके दादा सुखलाल गौड ने यह जमीन खरीदी है एंव उनके पिता 3 भाई झुन्नू, झिन्ना, धन्नू है सभी संयुक्त परिवार में रहते आये। दादा (Grand father) ने सामिलाती भूमि बड़े बेटे झुन्नू के नाम क्रय की थी उनके फोत होने पर भूमि उनकी पत्नि फुल्कोवाई के नाम दर्ज हो गई है, जबकि उक्तांकित भूमि पर तीनों भाई का हक है इसलिये आवेदकगणों का नाम फुल्कोवाई के साथ दर्ज किया जाय। तहसील न्यायालय में प्रकरण नंबर 8 अ-6/01-02 दर्ज करके आदेश दिनांक 26-8-02 से आवेदकगण का आवेदन स्वीकार कर लिया।

छिद्दीलाल अनावेदक ने फुल्कोवाई का मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ अपंजीयत बसीयतनामा प्रस्तुत कर फुल्कोवाई की भूमि पर स्वयं् के नामान्तरण करने हेतु आवेदन दिनांक 31-3-04 प्रस्तुत किया जिस पर तहसील न्यायालय में प्र0क0 15 अ 6 / 2003-04 पंजीयत होकर आदेश दिनांक 29-4-05 से आवेदन निरस्त किया गया।

3/ उपरोक्त दोनों प्रकरणों में पारित आदेशों के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अमरवाड़ा के समक्ष दो अपील 52/अ-6/07-08 एंव 35 अ-6/08-09 प्रस्तुत हुई, जिनमें संयुक्त रूप से आदेश दिनांक 30-9-2009 पारित हुआ एंव 30-9-09 से तहसील न्यायालय के दोनों आदेश निरस्त कर प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर पुनः विधिवत् आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित हुआ। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष अपील क्रमांक 486/अ-6/09-10 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 2-11-11 से अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये संहिता की धारा 164 अनुसार विवादित भूमि

के न्यायगमन को अभिनिर्धारित करने के उपरांत कार्यवाही की जावे। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने, अनावेदकों व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि का मूल भूमिस्वामी झुन्नू था उसके मरने के वाद उसकी पत्नि महिला फुल्कोवाई के नाम आई है । क्या भूमि संयुक्त परिवार की है या नहीं ? यदि महिला फुल्कोवाई के कोई पुत्र/पुत्री नहीं है तब भूमि किसे जायेगी, विचार किया जाना है जिसके कारण विद्वान अपर आयुक्त ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 164 के अंतर्गत न्यायगमन किसे होगा ? जांच कर कार्यवाही हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है क्योंकि वाद विचारित भूमि पर आवेकगण संयुक्त परिवार की भूमि होने के आधार पर दावा पेश कर रहे है एंव अनावेक अपंजीयक बसीयत के आधार पर नामांत्रण की मांग कर रहा है। ऐसी स्थिति में विद्वान अपर आयुक्त व्दारा की संहिता धारा 164 के अंतर्गत विचार एंव जॉच हेतु तथा पक्षकारों को अपना अपना दावा सिद्व करने हेतु साक्ष्य , सुनवाई का अवसर देने के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 486 अ-6/2099-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-11-11 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर